# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजि0न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/35/2022 | 2022/89 | 04.02.2022 | 30.04.2024 |

1. रूप सिंह पुत्र मुरली खटीक निवासी ग्राम मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान

—अपीलाण्ट

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार साहब मालाखेडा दिनांक 24.09.2018 प्रकरण संख्या 23/18 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को आराजी खसरा नम्बर 4444 रकबा 0.98 है० किस्म सिवायचक बारानी का वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर (2) के तहत 03 माह के सिविल कारावास से दण्ड रूपये पेनल्टी आरोपित की गई व बेदखली के आदेश पारित किये गये व बमुराद मनसुखी निर्णय अदालत मातहत व मंजुर फरमाये जाने अपील।

उपस्थितः—

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

## —:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 24.09.2018 प्रकरण संख्या 23/2018 जिसके द्वारा ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा की आराजी खसरा न0 4444 रकबा 0.98 है0 किस्म सिवायचक पर अतिक्रमण करने से तीन माह के सिविल कारावास, बेदखली की कार्यवाही एवं पैनल्टी कायम किए जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निर्णय तहसीलदार साहब मालाखेड़ा दिनांक 24.09.2018 विधि व न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील हाजा पर न्यायालय शुल्क 2/— रूपया चस्पा है। अपीलाण्ट उक्त निर्णय दिनांक 24.09.2018 की जानकारी दिनांक 26.10.2018 को हुई जबकि पुलिस वाले प्रार्थी अपीलाण्ट के घर पर आये और उन्होने बताया कि प्रार्थी के विरूद्व तहसीलदार मालाखेडा के यहा से बेदखली के आदेश व वारण्ट जारी किये गये है जिस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 26.10.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र अपने वकील साहब अजय कुमार गुप्ता के जरिये पेश किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जिसकी नकल दिनांक 29.10.2018 की शाम को प्राप्त हुई जिस पर वकील साहब से सलाह मशवरा किया व पैसो का इन्तजाम किया जिससे यह अपील तारीख जानकारी दिनांक 26.10.2018 से अन्दर अवधि प्रस्तुत है जिस बाबत प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 अलग से पेश किया जा रहा है। अपील न्यायालय तहसीलदार साहब मालाखेडा के निर्णय दिनांक 24.09.2018 के विरूद्ध है कि जिससे अपील न्यायालय श्रीमान को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलाण्ट आराजी खसरा नम्बर 4444 रकबा 0.98 हैक्टर किस्म सिवायचक बारानी वाके ग्राम मालाखेडा पर काफी समय पूर्व काबिज था। जिसका कब्जा अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में ही छोड दिया गया था जिस बाबत अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने शपथ पत्र दिनांक 24.09.2018 को पेश किया था जिसमें अपीलाण्ट द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था उक्त भूमि पर मेरा अतिक्रमण था जो मैने अब छोड दिया है व अपना कब्जा हटा लिया है अब मेरा मौके पर कब्जा नही है ना ही किसी प्रकार की कोई फसल बोई हुई है। शपथ पत्र पेश करने पर दिनांक 24.09.2018 को अपीलाण्ट को यह कहा था कि अब आपकी कोई आवश्यकता नही है मगर इसके बावजुद भी अपीलाण्ट को साक्ष्य आदि मौका ना देकर उसी दिन फैसला अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित कर दिया तथा पटवारी हल्का के बयान भी अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में छपे हुये Cyclostyle फार्म पर ही लेकर प्रार्थी/अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये उक्त रकबे से बेदखल किये जाने व अर्थ दण्ड स्वरूप लगान 7.84/– रूप्ये के 50 गुना 392 रूपये पेनल्टी आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा पश्चातवर्ती–अतिक्रमण किये जाने फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत 3 माह के सिविल कारावास से दण्डादेशित किये जाने की व गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार मालाखेडा को आदेश दिये गये पेनल्टी वसुली बेदखली पटवारी हल्का /भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाने की निर्णय पारित की गई कि जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि व न्याय के सिद्धान्तो के एकदम विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुने व सुनवाई का मौका दिये बिना तथा पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना निर्णय अपीलाण्ट के पीछे से पारित किया गया है जबकि गवाह के बयान बिना जिरह किये हुये और बिना जिरह का अवसर दिये हुये साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट एवं बिना जिरह का अवसर दिये Cyclostyle में छपे हुये फार्म पर दर्ज हल्का पटवारी के बयानो को आधार मानते हुये प्रार्थी अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया गया है जो कि न्याय के सिद्धान्तो के एकदम विपरीत है कि जिससे निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। जब अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर दिया गया था कि अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा नही है अपीलाण्ट पूर्व में ही कब्जा छोड चुका है व मौके पर कोई फसल नही है तो इस बावत जाँच ने पटवारी के गलत बयानो पर निर्णय पारित किया है कि जो निर्णय विधि विरूद्ध है व निरस्त किये जाने योग्य है। जब अपीलान्ट का कब्जा ही मौके पर नहीं है तो अपीलान्ट को बेदखल करने का तथा पेनल्टी वसूल करने का व अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना व 3 माह के साधरण कारावास की सजा के आदेश देना न्याय के सिद्धान्तो के कतई विपरीत है कि जो निर्ण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् की सेवा में यह अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब मालाखेडा दिनांक 24.09.2018 निरस्त फरमाई जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैसपोडैन्ट्स जरिय राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैसपोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा रिकॉर्डेड अवगत कराया गया कि मौके से मैने कब्जा छोड दिया है। कब्जा छोडने बाबत् तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट भी पत्रावली में शामिल है। अपील अपीलांट द्वारा यह भी अंकित कराया गया कि जमीन सिवायचक है। मेरा कब्जा नही है, कब्जा छोड दिया गया है। सजा के बिन्दु पर सहानुभूति पूर्ण विचार करने हेतु निवेदन वकील अपीलांट द्वारा किया गया। बहस के बिन्दु एवं रिकॉर्ड का मिलान किया गया अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 24.09.2018 प्रकरण संख्या 23/2018 को सजा के बिन्दु तक निरस्त किया जाता है, शेष फैसला अनुसार पैनल्टी एवं बेदखली यथावत रखी जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)